

# असाधारण आम बैठक

मंगलवार, 04 सितम्बर, 2018 प्रातः 10.30 बजे

### **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Tuesday, September 04, 2018 10.30 A.M.

प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5 'जी' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051



**HEAD OFFICE:** 

STAR HOUSE, C-5, 'G' BLOCK BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (EAST), MUMBAI - 400 051



### सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक मंगलवार **04 सितम्बर, 2018 को सुबह 10.30 बजे, बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम,** स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई-400 051 में निम्नलिखित विशेष कारोबार करने के लिए की जाएगी:

### मद सं. 1 - बैंक के कर्मचारियों तथा पूर्णकालिक निदेशकों को शेयर जारी करना।

निम्निलेखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उचित समझा जाता है तो उसे पारित करना।

**''संकल्प पारित किया जाता है कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' संदर्भित किया जायेगा), राष्ट्रीयकत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (इसके बाद इसे 'योजना' संदर्भित किया जायेगा) तथा समय-समय पर संशोधित बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000 (इसके बाद 'विनियम' कहा जायेगा) एवं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभृति एवं विनियामक बोई (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सुचीबद्ध हैं, यथा लागू तथा/या कोई भी अन्य प्राधिकारी जो इस संबंध में आवश्यक होंगे उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति के अधीन एवं वैसे अनुमोदन देने में निर्धारित निबन्धनों, शर्तों तथा संशोधनों के अधीन जिस पर बैंक के निदेशक मण्डल ने सहमति दी है तथा सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014, अब तक यथा संशोधित (इसके बाद इसे एसबीईबी विनियम कहा जायेगा) के प्रावधानों के अधीन, आरबीआई, सेबी तथा सभी अन्य प्रासंगिक प्राधिकारियों के दिशा-निर्देशों, बैकिंग विनियम अधिनियम १९४९, भारतीय प्रतिभृति एवं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, १९९२, विदेशी मृद्रा प्रबंधन अधिनियम, १९९९ तथा समय-समय पर लागू सभी अन्य विधियों के अंतर्गत अधिसूचना/परिपत्र तथा स्पष्टीकरण एवं यथा संशोधित सेबी (सूचीकरण, प्रतिबद्धताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम २०१५ (सेबी एल्ओडीआर), बीएससी लिमिटेड (बीएससी) तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) नामक स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक के द्वारा किये गये यूनिफार्म लिस्टिंग करार के अधीन एवं किसी भी प्राधिकारी की, किसी भी चरण में लागू अनुमोदन(नों), अनुमति(यों), स्वीकृति(यों) के अधीन तथा उक्त अनुमोदन(नों), अनुमति(यों), स्वीकृति(यों) को देते समय उक्त प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित या लगाये गये शर्त(शर्ता) तथा संशोधन (संशोधनों) के अधीन तथा जो बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा सहमत एवं स्वीकार किये गये हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मण्डल को दी जाती है, (इसके पश्चात निदेशक मण्डल को ''बोर्ड'' कहा जायेगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जायेगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गयी हो/इसके पश्चात गठित की जायेगी), ताकि एक या अधिक खण्डों में सम्बन्धित कर्मचारियों को, जो भारत में या भारत के बाहर कार्य कर रहे हैं, जिस शब्द में बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक शामिल हैं ('कर्मचारी') जैसा बैंक का बोर्ड निर्णय लेता है, प्रत्येक ₹ 10 (दस रुपये मात्र) के अंकित मूल्य के कूल 10,00,00,000 (**दस करोड़)** नये इक्विटी स्टॉक सृजित, प्रदान, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित कर सकते हैं, जो लाभांश के भुगतान सहित सभी उद्देश्यों के लिए तथा सभी सम्बन्धों में बैंक के इक्विटी शेयर के अनुरूप होंगे। कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (इसके पश्चात इसे बीओआई-ईएसपीएस कहा जायेगा) के अंतर्गत उक्त वैसी कीमत या कीमतों तथा वैसे निबन्धनों एवं शर्तों पर होगाँ जो बोर्ड के पूर्ण विवेक द्वारा इस प्रकार से निर्धारित किया जायेगा कि भारत सरकार की शेयरधारिता 51.00% से नीचे न आये।''

''**यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि** सेबी विनियमों के विनियम 15 में यथा निर्धारित लेखांकन नीतियों का बैंक पालन करेगा।''

''<mark>यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि</mark> बोर्ड को एतद्-द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये यूनीफार्म लिस्टिंग करारों के निबन्धन एवं शर्तों तथा अन्य लागू दिशा-निर्देशों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार उन स्टॉक एक्सचेंजों में जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं ''बीओआई- ईएसपीएस'' के अंतर्गत जारी एवं आबंटित इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए आवश्यक कदम उठाएं।''

"यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि 'बीओआई- ईएसपीएस" को लागू करने, तैयार करने, विकसित करने के लिए प्राधिकृत किया जाय, ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर जो बोर्ड या उसकी किसी समिती के द्वारा निर्धारित की जाय। समय-समय पर 'बीओआई- ईएसपीएस" में निबन्धन एवं शर्तों में परिवर्तन(नों), संशोधन(संशोधनों), बदलाव(बदलाओं), तब्दीली(लियों) या आशोधनों को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। उक्त में ये परिवर्तन बोर्ड के द्वारा उसके सम्पूर्ण विवेक द्वारा इस प्रकार से निर्धारित होंगे कि 'बीओआई- ईएसपीएस" में कीमत, अविध, पात्रता मानदण्ड या इसे स्थगित करने, वापस लेने, समाप्त करने या संशोधन करने सिहत होंगे परन्तु इतने तक ही सीमित नहीं होंगे। साथ ही बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है कि वह 'बीओआई- ईएसपीएस" के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उठने वाले संदेहों या समस्याओं तथा सभी प्रश्नों का समाधान करे तथा साथ ही प्रस्तावित 'बीओआई- ईएसपीएस" के अनुसार जारी शेयर का भी समाधान करे तथा इसके लिए शेयरधारकों से कोई और सहमित या अनुमोदन न आवश्यक हो तथा इस संकल्प के प्राधिकार से यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने इस संबंध में अपना अनुमोदन व्यक्त कर दिया है।"

''साथ ही यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को एतद्-द्वारा, प्राधिकृत किया जाय कि वह इसके द्वारा दी गयी सभी शक्तियों को निदेशकों की एक सिमित(यों), प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक(कों) या बैंक के वैसे अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करे जिसे वह पूर्वोक्त संकल्पों को लागू करने के लिए एसबीईबी विनियम तथा अन्य लागू कानूनों, दिशानिर्देशों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन हेतु आवश्यक समझता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

(दीनबंधु मोहापात्रा) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई दिनांक: 09.08.2018



### टिप्पणियां:

- बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार शेयरधारक स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान के लिए नियुक्त कर सकता है तथा ऐसे परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। वैध एवं प्रभावी होने के लिए परोक्षी फार्म गुरुवार, 30 अगस्त, 2018 को बैंक के कार्य की समाप्ति संध्या 4.30 बजे तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में अवश्य ही प्राप्त हो जाने चाहिए।
- 2. किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, उस बैठक जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य-प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय में गुरुवार, 30 अगस्त, 2018 को बैंक के कार्य समय समाप्ति संध्या 4.30 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो।
- 3. शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित पर्ची पर ''परोक्षी'' या ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- 4. कार्यसूची मद हेतु व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
- 5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरों के अंतरण और शिकायत निवारण के लिए वे बैंक या संबंधित रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट(आरटीए), मेसर्स बिगशेयर प्रा.लि. को निम्नलिखित पते पर लिखें:

कंपनी सचिव बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, 8 वीं मंजिल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. फोन - 022-66684444 फेक्स - 022-66684491 ई-मेल: Headoffice.share@bankofindia.co.in वेबसाइट: www.bankofindia.co.in बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स :

मेसर्स बिगशेयर सर्विसेस प्रा. लि. यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रथम तल, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, वसंत ओयासिस के सामने, मकवाना रोड, मरोल, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 059 टेलीफोन: 022- 62638200 फैक्स : 022- 62638299

ई मेलः investor@bigshareonline.com

6. सेबी (दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना) विनियम, 2018 को संशोधित करते हुए सेबी अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/24 दिनांक 8 जून, 2018 के अनुसार प्रतिभूतियों के हस्तांतरण एवं प्रतिस्थापन को प्रभावी करने हेतु आवेदन पर विचार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निक्षेपागार के पास प्रतिभूतियां अमूर्त रूप में न हों। अन्य शब्दों में, 5 दिसम्बर 2018 के बाद किसी भी फिजिकल शेयर का हस्तांतरण नहीं होगा। तदनुसार, कृपया नोट करें कि बैंक/आरटीए 6 दिसम्बर, 2018 से शेयरों के हस्तांतरण के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।

### 7. **ई- वोटिंग**

बैंक सहर्ष, नोटिस में उल्लेख किए गए मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक ने मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा 28 अगस्त, 2018 को धारित इक्विटी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखनेवाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप से डाल सकते हैं।

### 8. ई-वोटिंग अनुदेश

- i. शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार इस उद्देश्य से नियत यथा 28 अगस्त, 2018 (कट-ऑफ तारीख) को बैंक के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में उनके द्वारा धारित शेयर के आधार पर होगा।
- ii. वोटिंग अविध 01 सितम्बर, 2018 के सुबह 10.00 बजे आरंभ होगी और 03 सितम्बर, 2018 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। सीएसडीएल द्वारा उसी दिन शाम 5.00 बजे ई-वोटिंग मोड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा।
- iii. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा।
- iv. shareholders पर क्लिक करें।
- v. अब अपने यूजर आईडी की प्रविष्टि करें।
  - (ए) सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी
  - (बी) एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी
  - (सी) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों उन्हें बैंक में पंजीकृत 6 डिजिट फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।
- vi. प्रदर्शित की गई वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।



- vii. यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया हो और किसी कंपनी/निकाय पर वोट किया हो, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- viii. यदि आप पहली बार ई वोटिंग कर रहे हों तो निम्नलिखित का पालन करें :-

	डीमैट और भौतिक स्वरूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपने 10 डिजिट के अल्फ़ा न्यूमेरिक पैन (PAN) की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में
(PAN)	शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू)
	• जिन सदस्यों ने बैंक/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पैन (PAN) अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले के दो अक्षर और अपने पैन (PAN) के 8 अंकों का सीक्वेन्स नंबर सूचित करें।
	<ul> <li>यदि सीक्वेन्स नंबर, 8 अंकों से कम अंकों का हो तो नाम के पहले दो अक्षरों (बड़े अक्षरों में) के बाद उस नंबर से पहले आवश्यक संख्या में '0' जोड़ें। अर्थात यदि आपका नाम Ramesh Kumar है और सीक्वेन्स नंबर 1 है तो पैन (PAN) फीलइ में RA0000001 लिखें।</li> </ul>
लाभांश बैंक विवरण	आपके डीमैट खाते में या बैंक अभिलेख में रिकॉर्ड किए गए लाभांश बैंक ब्यौरे अथवा जन्मतिथि (दिदि/मम/वव फार्मेट में) की प्रविष्टि करें।
<b>या</b> जन्मतिथि (DOB)	• यदि ब्यौरे डिपॉजिटरी या बैंक में ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेश (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड़ में सदस्य आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।

- ix. इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात 'SUBMIT' पर क्लिक करें।
- X. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे 'Bank selection' स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब 'password creation' मेन्यू में पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी/निकाय जिसे वे वोट देने के लिए पात्र हैं, के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी/निकाय सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के संबंध में अत्यधिक सावधानी रखें।
- xi. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग हेतु किया जा सकता है।
- xii. संगत <Company Name> जिस पर आप वोट करना चाहें, हेतू EVSN पर क्लिक करें।
- xiii. वोटिंग पृष्ठ पर आपको 'Resolution Description' दिखेगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग हेतु 'Yes/No' दिखेगा। इच्छानुसार 'Yes' या 'No' विकल्प चुनें। 'Yes' विकल्प चुनने से तात्पर्य है कि आप इस संकल्प से सहमत हैं और 'No' विकल्प मतलब आप इस संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- xiv. यदि आप संकल्प के पूर्ण ब्यौरे देखना चाहें तो 'RESOLUTIONFILE LINK' पर क्लिक करें।
- xv. आप ने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक 'confirmation box' प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने नोट की पुष्टि करना चाहें तो 'OK' पर क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।
- xvi. संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने पर आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- xvii. आपके द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकालने हेतु आप वोटिंग पेज पर 'click here to print' विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
- xviii. यदि डीमैट खाता धारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज नोटिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें और 'Forget Password' पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।
- xix. गैर-एकल शेयरधारक और अभिरक्षक हेत् नोट
  - गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और कॉरपोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।
  - 2. संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia-com को ईमेल की जानी चाहिए एवं जिसकी प्रतिलिपि scrutinizer@snaco.net को भेजी जाए।
  - 3. लॉग इन ब्यौरा प्राप्त करने के पश्चात एडिमन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूजर उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
  - 4. खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia-com को मेल की जाए और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
  - 5. उनको अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में लोड करना होगा ताकि स्क्रूटिनाइजर इसकी जांच कर सके।



- 3. ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) और www.evotingindia.com पर उपलब्ध हेल्प खण्ड के अन्तर्गत ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk@cdslindia.com को ईमेल लिख सकते हैं।
- xx. बहु फोलियो/डीमैट खाता धारित शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए पृथक रूप से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार भारत सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।
- xxi. ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।
- xxii. कृपया नोट करें कि एक बार वोट देने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते। असाधारण आम बैठक में वोट नहीं दे सकते हैं। तथापि आप बैठक में उपस्थित रह सकते हैं और विचार-विमर्श, यदि कोई हो, में सहभागिता कर सकते हैं।
- xxiii. आप फोलियो में यूजर प्रोफाइल ब्योरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में संसूचनाएं भेजने के लिए किया जाएगा।

### 9. बैठक में मतदान

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात, अध्यक्ष महोदय कार्यसूची के मद के संबंध में मतदान का आदेश देंगे। बैठक में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं दिया है वे बैठक में मतदान के जरिए अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रयोजन हेतु नियुक्त स्क्रूटिनाइज़र के तहत मतदान का आयोजन और पर्यवेक्षण किया जाएगा। मतदान पूरा होने के बाद अध्यक्ष महोदय बैठक की समाप्ति की घोषणा करेंगे।

10. मतदान के परिणाम के साथ जोड़कर रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक अपनी वेबसाइट पर करेगा और स्टॉक एक्सचेजों को भी सूचित किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

(दीनबंधु मोहापात्रा) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई दिनांक: 09.08.2018



### व्याख्यात्मक विवरण

### मद संख्या 1

### सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन 2014 के विनियमन 6 (2) अनुसार व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटीकरण किए जाने हैं।

बैंक के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने एवं अपनेपन की भावना बढ़ाने के उश्य से, बैंक ने प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकों सहित बैंक ने अपने स्थायी कर्मचारियों (पात्र कर्मचारियों) को नये ईक्विटी शेयर जारी करना प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित इश्यू दीर्घ अवधि संसाधनों हेतु बढ़ती हुई मांगों को पूरा करेगा और बेसल III की आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक की पूँजी पर्याप्तता को भी बढ़ायेगा।

सेबी(शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (एसबीईबी विनियमों) के अनुपालन में, बैंक ऑफ़ इंडिया कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना ('बीओआई -ईएसपीएस'') नाम से बैंक एक योजना बना रहा है। योजना बोर्ड की समिति द्वारा प्रभाव में लायी जाएगी और इसका अनुपालन लागू नियमों के अध्यधीन होगा।

बैंक ने वर्ष 2018-19 के लिए पूँजी प्राप्त करने की योजना की है, उसमे से बैंक के बोर्ड ने बैंक ऑफ़ इंडिया कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (बीओआई -ईएसपीएस) के माध्यम से, उपयुक्त प्रीमियम पर ₹ 10/- के अंकित मूल्य के 10 करोड़ तक ईक्विटी शेयर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। जिसे एक या अधिक ट्रांच में जीओआई/आरबीआई/सेबी/अन्य विनियामक एजेंसियों आदि द्वारा अनिवार्य/विनियामक अनुमोदनों के अध्यधीन इस प्रकार लागू किया जाए जिससे भारत सरकार की शेयरधारिता 51.00% से कम न हो।

दीर्घावधि संसाधनों को प्राप्त करने के अलावा, इश्यू का उद्देश्य है :

- कर्मचारियों द्वारा सृजित मूल्य को साझा करके, हमारे बैंक की ओर कर्मचारियों को आकर्षित करने, उन्हें बनाये रखने और उन्हें पुरस्कृत करने तथा कंपनी की प्रगति एवं लाभप्रदता में योगदान देने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने में बैंक को समर्थ बनाना।
- प्रोत्साहन और पुरस्कार के अवसरों से बैंक के कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करना।
- बैंक को धारणीय प्रगति के पथ पर ले जाना और कर्मचारियों के हितों को बैंक के दीर्घावधि हितों से जोड़कर शेयरधारक मूल्य का सृजन करना; और
- कर्मचारियों में स्वामित्व और साझेदारी की भावना विकसित करना।
- जुटाई गई पूंजी का उपयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने के लिए और बैंक की सामान्य कारोबार आवश्यकता को वित्तपोषित करने हेत् किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत जारी किये जाने हेतु प्रस्तावित नये इक्विटी शेयर हर दृष्टिकोण से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर होंगे, इसमें बैंक द्वारा घोषित लाभांश का भुगतान, यदि कोई हो; भी शामिल होगा।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 [सेबी (LODR)] के विनियम 41(4) और एसबीईबी विनियमन के विनियम 6 के अनुपालन में बैंक द्वारा पात्र कर्मचारियों को नये इक्विटी शेयर्स जारी करने और आंबिटत करने हेत् विशेष संकल्प प्रस्तावित किया जा रहा है।

सेबी परिपत्र सं.सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसी सेल/2015 दिनांक 16 जून 2015 के अनुरूप इसमें दिये गये अतिरिक्त प्रकटन निम्नवत हैं:-

### ए. योजना का संक्षिप्त विवरणः

बैंक बीओआई - ईएसपीएस के अंतर्गत समस्त पात्र कर्मचारियों को बैंक के प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्य के 10 (दस) करोड़ तक के नये इक्विटी शेयर्स ऑफर करने का प्रस्ताव करता है। यह उन लागू नियमों, कानूनों, विनियमों और दिशानिर्देशों अध्यधीन होगा, जो कि ऑफर को इस तरह से बनाये जाने के समय निर्धारित किए जाएं कि भारत सरकार का शेयर 51% से कम न हो जाए।

### बी. प्रदान किये जाने वाले शेयरों की कूल संख्याः

योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को कुल मिलाकर 10,00,00,000 (दस करोड़) नये इक्विटी शेयर ऑफर किया जाना प्रस्तावित है।

### सी. बीओआई ईएसपीएस में प्रतिभाग करने और उसके लाभार्थी बनने हेतू पात्र कर्मचारियों की श्रेणियों की पहचानः

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक अधिकारी (अधिकारियों) सहित बैंक के समस्त स्थाई कर्मचारी।

### डी. वेस्टिंग और वेस्टिंग अवधि संबंधी अपेक्षाएं:

लागू नहीं

ई. अधिकतम अवधि (सेबी (SBEB) विनियमन के 18(1) और 24(1) विनियम के अध्यधीन, जैसा भी मामला हो) जिसके भीतर विकल्प/एसएआर/ लाभ निहित किया जाएगाः

लागू नहीं।

### एफ. प्रयोग मूल्य, एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण सूत्रः

ऑफर मूल्य/क्रय मूल्य का निर्धारण निदेशक मंडल/सिमित द्वारा ऑफर दिये जाने के समय किया जाएगा। योजना के अंतर्गत बैंक के पात्र कर्मचारियों को आबंटित किये जाने वाले शेयर्स पर 10% से 25% तक बट्टा दिया जाएगा जो बोर्ड/सिमित द्वारा ऑफर/खरीद मूल्य निर्धारित किये जाने की तिथि से पहले दो सप्ताह के दौरान एनएसई में इक्विटी शेयर के भारित औसत मूल्यों के साप्ताहिक उच्चतम और न्यूनतम औसत पर लागू होगा।

### जी. प्रयोग की अवधि और प्रयोग की प्रक्रियाः

बोर्ड/समिति द्वारा निर्णित वह अविध जिसके दौरान निर्गम चालू रहेगा, उसे प्रयोग अविध कहा जाएगा। प्रयोग की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ पात्र कर्मचारियों को दिया गया ऑफर, आवेदन की पावती और अभिदान राशि और योजना के अनुरूप शेयरों का आबंटन भी शामिल होगा।



एच. प्रस्तावित ईएसपीएस के लिए कर्मचारियों की पात्रता निर्धारित करने हेतु मूल्यांकन प्रक्रियाः

लागू विनियामक अपेक्षाओं और दिशानिर्देशों के अध्यधीन, ऑफरिंग की तिथि को पात्र कर्मचारी प्रतिभागिता के हकदार होंगे।

आई. प्रति कर्मचारी और समेकित रूप से जारी किए जाने वाले विकल्पों, एसएआर, शेयर्स; जैसा भी मामला हो, की अधिकतम संख्याः

योजना के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 10,000 (दस हजार) नये इक्विटी शेयर्स या इस उद्देश्य हेतु गठित समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार इक्विटी शेयर्स दिया जाना प्रस्तावित है।

बैंक कुल मिलाकर अधिकतम 10,00,00,000 (दस करोड़) के नये इक्विटी शेयर जारी करना प्रस्तावित करता है और प्रति कर्मचारी जारी किये जाने हेतु प्रस्तावित इक्विटी शेयर्स बैंक के निर्गम-पश्चात चुकता-पूँजी के 1.00% से अधिक नहीं होने चाहिए।

जे. योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी प्रदान किये जाने वाले लाभों की अधिकतम मात्राः

पात्र कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत पैरा-1 में उल्लिखित के अनुरूप जारी किये गये इक्विटी शेयर्स के अलावा कर्मचारियों को कोई भी अन्य लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

के. क्या यह योजना सीधे बैंक द्वारा, या किसी न्यास के माध्यम से कार्यान्वित और नियंत्रित की जाएगी:

प्रस्तावित योजना सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित और नियंत्रित की जाएगी।

एल. क्या योजना के तहत कंपनी द्वारा नये शेयर्स जारी किये जाएंगे या न्यास द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण किया जाएगा या दोनों :

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा सीधे कर्मचारियों को नये शेयर्स जारी किये जाएंगे।

एम. योजना/योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु न्यास को प्रदान किये जाने वाले ऋण की राशि, उसकी अवधि, उपयोगिता, चुकौती की शर्तें इत्यादिः

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक के नये इक्विटी शेयर्स सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाना प्रस्तावित है और न्यास का गठन या न्यास को ऋण प्रदान करना लागू नहीं है।

एन. योजना/योजनाओं के अंतर्गत न्यास द्वारा किये जा सकने वाले द्वितीयक अधिग्रहण का अधिकतम प्रतिशत (सेबी विनियमन के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन):

लागू नहीं।

ओ. बैंक द्वारा सेबी (SBEB) विनियमन के विनियम 15 में उल्लिखित लेखा नीतियों का पालन किया जाएगा, इस संबंध में वक्तव्यः

बैंक एसबीईबी विनियमन के विनियम 15 में उल्लिखित लेखा नीतियों का पालन करेगा, यदि वे समय-समय पर लागू हों।

पी. वे तौर-तरीके जो बैंक द्वारा अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्यांकन हेतु प्रयोग किये जाएंगेः

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, बैंक नये इक्विटी शेयर्स जारी करना प्रस्तावित करता है और विकल्पों या एसएआर का मुल्यांकन लागू नहीं है।

क्यू. अनुगामी वक्तव्य, यदि लागू होः

यदि बैंक इंट्रिंजिक वैल्यू का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों के शेयर आधारित लाभों को एक्सपेन्स करने के विकल्प का चुनाव करता है तो इस प्रकार से संगणित कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत और वह कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत जो फेयर वैल्यू के प्रयोग किये जाने पर मानी गई होती; का निदेशक रिपोर्ट में प्रकटन किया जाएगा और निदेशक रिपोर्ट में इस अंतर के बैंक के लाभ और प्रति शेयर आय (ईपीएस) पर प्रभाव का भी प्रकटन किया जाएगा। बैंक द्वारा उपर्युक्त आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा, यदि लागू हो।

आर. लॉक-इन अवधिः

वर्तमान ईएसपीएस के अंतर्गत जारी किये जाने हेतु प्रस्तावित नये इक्विटी शेयर्स, एसबीईबी विनियमन के अनुरूप आबंटन की तिथि से कम से कम एक वर्ष की अविध के लिए लॉक्ड-इन रहेंगे।

प्रस्तावित 'विशेष संकल्प' पारित किये जाने हेतु निदेशक मंडल द्वारा संस्तुति प्रदान की जाती है।

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और अन्य मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) उपर्युक्त संकल्प से संबद्ध हैं या उसमें रुचि रखते हैं, चूंकि यह उनके लाभ हेतु अभिप्रेत है। अन्य निदेशक संकल्प से संबद्ध नहीं है या उसमें रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

D. 013[417]

(दीनबंधु मोहापात्रा) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांकः 09.08.2018



### NOTICE

**NOTICE** is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on **Tuesday**, **September 04, 2018 at 10.30 AM** at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051 to transact the following special business:

Item No.1 - Issue of Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2000 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions, and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Stock Exchange(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date (hereinafter referred to as SBEB Regulations), guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI and all other relevant authorities. Notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Foreign Exchange Management Act, 1999 and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing, Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR) as amended upto date, Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable, approval (s), permission (s) and sanction (s), at any stage, of any authority and subject to any condition (s) and modification (s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval (s), permission (s) and sanction (s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, aggregating up to 10,00,00,000 (Ten Crore) new equity shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as "BOI-ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 51.00%.

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SBEB Regulations.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "BOI-ESPS", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board and Committee thereof be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "BOI-ESPS" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the BOI-ESPS", from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "BOI-ESPS" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "BOI-ESPS" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "BOI-ESPS" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to a Committee (s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director (s) or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SBEB Regulations and other applicable laws, guidelines, rules and regulations."

By order of the Board

(Dinabandhu Mohapatra) Managing Director & CEO

### Place: Mumbai Date: 09.08.2018

Notes:

- 1. A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER. PROXY FORMS IN ORDER TO BE VALID AND EFFECTIVE MUST BE DELIVERED AT THE HEAD OFFICE OF THE BANK ON OR BEFORE THE CLOSING HOURS OF 4:30 P.M. ON THURSDAY, AUGUST 30, 2018.
- 2. No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank on or before the closing hours of 4.30 p.m. on Thursday, August 30, 2018.



- 3. For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.
- 4. The explanatory statement to the items on the agenda is annexed hereto.
- 5. The shareholders are requested to write to the Bank or to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA), Bigshare Services Pvt. Ltd. regarding transfer of shares and for resolving grievances at the below address:

The Company Secretary

Bank of India, Head Office, Star House, C – 5, 'G' Block 8th Floor, Bandra Kurla complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Phone: 022-66684444

Fax: 022-66684491

Email:headoffice.share@bankofindia.co.in

Website: www.bankofindia.co.in

Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA):

M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd.

Unit: Bank of India

1st Floor, Bharat Tin Works Building,

Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East),

Mumbai - 400 059 Phone: 022-62638200 Fax-022-62638299

Email:investor@bigshareonline.com

6. PURSUANT TO SEBI NOTIFICATION NO. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 DATED 8TH JUNE 2018, AMENDING THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, EXCEPT IN CASE OF TRANSMISSION OR TRANSPOSITION OF SECURITIES, REQUESTS FOR EFFECTING THE TRANSFER OF SECURITIES SHALL NOT BE PROCESSED UNLESS THE SECURITIES ARE HELD IN THE DEMATERIALIZED FORM WITH A DEPOSITORY. IN OTHER WORDS, THERE WILL NOT BE ANY TRANSFER OF PHYSICAL SHARE AFTER 5TH DECEMBER 2018. ACCORDINGLY, PLEASE NOTE THAT BANK/RTA WILL NOT ACCEPT ANY REQUEST FOR TRANSFER OF SHARES WITH EFFECT FROM 6TH DECEMBER 2018.

#### 7. E-Voting

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank has appointed M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co. Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on August 28, 2018 being the Cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

### 8. E-voting Instructions

- (i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on August 28, 2018 (Cut-off Date) fixed for the purpose.
- (ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on September 01, 2018 and will end at 5.00 p.m. on September 03, 2018. The e-voting module shall be disabled by CDSL at 5.00 p.m. on the same day.
- (iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iv) Click on shareholders
- (v) Now enter your User ID
  - (a) For CDSL: 16 digit beneficiary ID
  - (b) For NSDL: 8 Character DPID followed by 8 Digit Client ID
  - (c) Members holding shares in physical form should enter 6 digit Folio number registered with the Bank.
- (vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/ entity, then your existing password is to be used.
- (viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha numeric `PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)
	Members who have not updated their PAN with the Bank/ Depository Participant are requested to us the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN Held.
	In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two character of the name in CAPITAL letters. Eg, if your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login.
Date of Birth (DOB)	• If the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id/ folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).



- (ix) After entering these details appropriately, click on 'SUBMIT' tab.
- (x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'password creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company / entity on which they are eligible to vote, provided that company / entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolution contained in this notice.
- (xii) Click on the EVSN for the relevant < Company Name> on which you choose to vote.
- (xiii) On the voting page, you will see `Resolution Description' and against the same the option `Yes/ No' for voting. Select the option Yes or No as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiv) Click on the "RESOLUTION FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on `SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on `CANCEL' and accordingly modify your vote.
- (xvi) Once you 'CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take print out of the voting done by you by clicking on the 'Click here to print' option on the Voting page.
- (xviii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) Note for Non-Individual Shareholders and Custodians
  - Non Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and custodian are required to log on to www. evotingindia.com and register themselves as Corporates.
  - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk. evoting@cdslindia.com and CC to scrutinizer@snaco.net.
  - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance
    user would be able to link the accounts(s) for which they wish to vote on.
  - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be
    able to cast their vote.
  - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
  - In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and
    e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- (xx) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- (xxi) The results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.
- (xxii) Kindly note that once you have cast your vote you cannot modify or vote on voting at the Extraordinary General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.
- (xxiii) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

#### 9. Voting at the Meeting

After the agenda item has been discussed, the Chairman will order voting in respect of the item on the agenda. Shareholders attending the meeting and who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the meeting. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizer appointed for the purpose. After conclusion of the Voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

10. The Results of the voting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board

(Dinabandhu Mohapatra) Managing Director & CEO

Place: Mumbai Date: 09.08.2018



### **EXPLANATORY STATEMENT**

#### Item Number 1

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms Regulation 6(2) of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulation 2014.

With a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes to issue new equity shares to its Permanent Employees including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors of the Bank (Eligible Employees). The proposed issue will also measure up to meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the BASEL III requirements.

In compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (SBEB Regulations), the Bank is formulating a Scheme namely Bank of India Employees Stock Purchase Scheme ("BOI-ESPS"). The Scheme will be administered by a Committee of the Board and shall be subject to compliance with the applicable laws.

Out of total capital raising plan for the year 2018-19, the Board of the Bank has decided to raise Equity Share Capital upto 10 crore equity shares with a face value of ₹ 10/- each, at an appropriate premium, through Bank of India Employee Stock Purchase Scheme (BOI-ESPS) in one or more tranches subject to mandatory / regulatory approvals from the GoI / RBI / SEBI / Other regulatory agencies etc., in such a way that the Government of India holding does not fall below 51.00%.

The object of the issue, apart from raising of long term resources is:

- To enable the Bank to attract, retain and reward Employees for our Bank by sharing the value created by them and to motivate them to contribute to the growth and profitability of the Company.
- To motivate the Employees of the Bank with incentives and reward opportunities;
- To achieve sustained growth of the Bank and the creation of shareholder value by aligning the interests of the Employees with the long-term interests of the Bank; and
- To create a sense of ownership and participation amongst the Employees.
- To raise equity capital to utilize for the purpose to shore up the capital adequacy and to fund the general business needs of the Bank

The new equity shares proposed to be issued under the Scheme shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] and Regulation 6 of SBEB Regulations, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new equity shares to Eligible Employees.

Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/Policy Cell/2015 dated 16th June 2015, additional disclosures as enumerated therein are as under:

### A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank proposes to offer upto 10 (Ten) crore new equity shares of face value of ₹ 10/- each of the Bank to all the Eligible Employees under BOI-ESPS subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, to be decided at the time of making offer in such a way that the Government of India does not reduce below 51.00%.

### B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED:

Up to 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares in aggregate are proposed to be offered to the Eligible Employees under the Scheme

#### C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE BOI ESPS:

All Permanent Employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank.

### D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING:

Not Applicable.

### E. MAXIMUM PERIOD [SUBJECT TO REGULATION 18 (1) AND 24 (1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE] WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs/BENEFIT SHALL BE VESTED:

Not Applicable.

### F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:

The Offer Price / Purchase Price will be determined by the Board / Committee of Directors at the time of the offer. The price of the Shares to be allotted under the Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be at a discount ranging between 10% to 25% on the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the equity shares quoted on NSE during the two weeks preceding the date on which the Board / Committee fixes Offer / Purchase Price.

### G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE:

The period during which the issue remains open as per decision of the Board / Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter-alia, include offer made to the Eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.



#### H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS:

Eligible Employees as on the date of offering will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

### I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE:

The maximum number of new equity shares per employee proposed to be issued under the Scheme is 10000 (Ten Thousand) equity shares or as decided by the Committee of Directors constituted for the purpose.

The Bank proposes to issue maximum of 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares in aggregate and equity shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1.00% of the post issue paid-up capital of the Bank.

#### J. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME:

Other than equity shares issued to the Eligible Employees under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the Employees.

### K. WHETHER THE SCHEME (S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST:

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

### L. WHETHER THE SCHEME (S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH:

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new equity shares directly to the Eligible Employees.

### M. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SCHEME (S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.:

Under the proposed Scheme, the new equity shares of the Bank are proposed to be issued directly to the Eligible Employees and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.

## N. MAXIMUM PERENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME (S):

Not Applicable.

### O. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE BANK SHALL CONFORM TO THE ACOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 OF SEBI (SBEB) REGULATIONS:

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SBEB Regulations, as applicable from time to time.

### P. THE METHOD WHICH THE BANK SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARS:

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new equity shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.

#### Q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

In case the Bank opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' report.

The Bank will comply with the above requirements, if applicable.

#### R. LOCK-IN PERIOD:

The new equity shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SBEB Regulations.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

The Managing Director & Chief Executive Officer, the Executive Directors and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned or interested in the aforementioned Resolution as it is intended for their benefit. Other Directors are not concerned or interested in the Resolution.

By order of the Board

(Dinabandhu Mohapatra) Managing Director & CEO

Place: Mumbai Date: 09.08.2018



प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

फोलियो नं (यदि डीमेट न किया गया हो)		_	डीपी आ ग्राहक 3 (यदि डी	ईडी नं. गई डी नं. मेट किया गया हो)			
				ोक्षी फार्म रा और हस्ताक्षरित किया जाए)			
मैं/हम				सी			
		राज्य		बैंक ऑफ़ इंडि	या का/के शेयरधारक	हूं/हैं और मैं/हम	एतदद्वारा
				जिला			
				निवासी			
				मारी ओर से दिनांक 04 सितंबर 			कि ऑफ़
				थित में मतदान के लिए परोक्षी के	रूप म नियुक्त करता	हू/करत ह।	
		की हस्ताक्षर		וואמו	Г		
नामः		6411414					
पताः						राजस्व स्टांप	
					_ प्रथम /एकमा	 त्र शेयर धारक के	हस्ताक्षर
1.	कोई	परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं	मानी जाएगी जब तक कि	•	Č		
	क)			या उनके द्वारा लिखित में विधिव	· ·		
	ख)	संयुक्त धारको के मामले मे र हस्ताक्षरित होगी।	पह रजिस्टर में दर्ज प्रथम	शेयरधारक द्वारा या उनके द्वार	ा लिखित रूप मे विधि	धेवत प्राधिकृत अटे	र्जी द्वारा
	<u>11</u> )	निगमित निकाय के मामले में वि	लिखित रूप में विधिवत प्रार्ग	धेकृत अधिकारी या अटॅर्नी द्वारा	हस्ताक्षरित होगी।		
2.	और	ो लिखत किसी शेयरधारक द्वार उनके अंगूठे का निशान वहां लगा कारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के कि	। है तो वह निशान न्यायधी	: होनी चाहिए किन्तु किसी कारण श , मजिस्ट्रेट , बीमा रजिस्ट्रार या केत (अटेस्टेड) होना चाहिए।	वश शेयरधारक अपन उप रजिस्ट्रार या किस	ा नाम लिखने में 3 नी अन्य सरकारी र	ग्समर्थ है राजपत्रित
3.	की त तहत	ारीख से कम से कम चार दिन प	ाहले जमा नहीं कराया गया या उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी	त रसीदी टिकट न लगा हो और हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ की प्रति या अन्य प्राधिकार जिसे कित न किया गया हो-	अटर्नी या अन्य प्राधि	कार (यदि कोई हो	) जिसके
	बैंक उ	ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधा	न कार्यालय, 8 वीं मंजिल,	स्टार हाउस, सी-5, ''जी'' ब्लॉक,	बांद्रा-कुर्ला संकुल, बां	द्रा (पूर्व), मुंबई - 4	00 051.
4.	बैंक दे	के पास जमा की गयी परोक्षी की	लिखत अप्रतिसंहरणीय तश	ग्रा अंतिम होगी।			
5.	विकल	प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त	। परोक्षी की लिखत के माम	ले में एक से अधिक फार्म निष्पादि	त नहीं किया जाएगा।		
6.	परोर्क्ष	ो की लिखत को निष्पादित करने	वाले शेयरधारक असाधार	ण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप रं	ने मतदान करने के हव	ठ्वार नहीं होंगे।	
7.		। भी ऐसे व्यक्ति को विधिवतप्राधि गरी हो।	प्रकृत प्रतिनिधि अथवा परोध	भ्री के रूप में नियुक्त नहीं किया र	जाएगा जो बैंक ऑफ इ	इंडिया का अधिकार	री अथवा



Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Folio No				DP ID No.			
(if not demateriali				Client ID No.			
				(if dematerialised)			
		PROXY F	ORM				
	(To be fil	led in and signed	by the Sh	areholder)			
I/We,		resident	of				
					in	the distric	ct
of	in the state of		_being a	shareholder/sharehold	ders of Bank of I	ndia, hereb	y
appoint Shri/Smt_				r	resident of		_
	in the district of	in the state of			or failing him/h	ner Shri/Sm	ıt.
	resident of			in the dis	strict of		_
in the state of	as my/our p	proxy to vote for me	us and o	n my/our behalf at the	Meeting of the sha	areholders o	of
Bank of India to be	e held on 04th September, 2018 a	and at any adjournn	nent there	of.			
Signed this	day of	2018.					
Signature of Proxy	·						
Name							
Address					Revenue Stamp		
				Signature of	first named/sole si	hareholder	

### INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless,
- a) in the case of an individual shareholder, it is signed by his/her attorney, duly authorised in writing.
- b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
- c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
- 2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
- 3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at:
  - "Bank of India, Share Department, Head Office, 8th Floor, Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051."
- 4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting.
- 7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.



प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

## असाधारण आम बैठक हेतु उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र

दिनांकः 04 सितंबर, 2018, समयः प्रातः 10.30 बजे

बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम,स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल,

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

### ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: 04th September 2018 - Time: 10.30 AM

Bank of India Auditorium, Star House, 'C' 5 G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051

उपस्थिति पर्ची (प्रवेश के समय जमा करने हेतू)

### ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry)

फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं.	शेयरों की संख्या	उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
FOLIO NO./ DP ID / CLIENT ID NO.	No. of Shares	Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present	

**प्रवेश पत्र** (पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखा जाए)

### **ENTRY PASS** (To be retained throughout the meeting)

फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं.	क्रम संख्या	शेयरों की संख्या
FOLIO NO./ DP ID / CLIENT ID NO.	SERIAL NO.	No. of Shares


बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/परोक्षियों अथवा प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र को विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्रतिनिधियों को लौटा दिया जायेगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर<sup>े</sup> भी यदि आवश्यक समझा गया तो प्रवेश के बारे में फिर से सत्यापन/जांच की जा सकती है। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश के लिए उपस्थिति पत्र की कोई दूसरी प्रति जारी नहीं की जायेगी।

Shareholders / proxyholders or representatives are requested to produce this attendance slip - cum - entry pass, duly signed, for admission to the meeting hall. The entry pass portion will be handed back to the shareholders / proxyholders / representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip-cum-entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

पश्चलेखः बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएँगे। / P.S. No gifts / gift coupons will be distributed at the meeting.



### **GUIDING MAP FOR THE MEETING VENUE**



### महत्वपुर्ण सूचना

सेबी (दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना) विनियम, 2018 को संशोधित करते हुए सेबी अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी- एनआरओ/ जीएन/2018/24 दिनांक 8 जून, 2018 के अनुसार प्रतिभूतियों के हस्तांतरण एवं प्रतिस्थापन को प्रभावी करने हेतु आवेदन पर विचार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निक्षेपागार के पास प्रतिभूतियां अमूर्त रूप में न हों। अन्य शब्दों में, 5 दिसम्बर 2018 के बाद किसी भी फिजिकल शेयर का हस्तांतरण नहीं होगा। तदनुसार, कृपया नोट करें कि बैंक/आरटीए 6 दिसम्बर, 2018 से शेयरों के हस्तांतरण के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। सभी शेयरधारकों का डिमेट खाता होना अनिवार्य है।

'बैंक ऑफ इंडिया' में डीमैट खातों को खोलने और अपने शेयरों को डिमटेरियलाइज्ड करने के लिए किसी भी समर्थन के लिए, आप हमारे शेयर ट्रेड पार्टनर 'अजकॉन ग्लोबल सर्विसेस लिमिटेड' से संपर्क कर सकते हैं।

संपर्क व्यक्ति श्री नितिन कुमावत, 022-67160415 मोबाइल नंबर 8080380883, ईमेलः nitin@ajcon.net

### **IMPORTANT INFORMATION**

Pursuant to SEBI notification no. SEBI/LADNRO/GN/2018/24 dated 8th June 2018, amending the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting the transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. In other words, there will not be any transfer of physical share after 5th December 2018.

Accordingly, please note that Bank/RTA will not accept any request for transfer of shares with effect from 6th December 2018. All the shareholders are required to have demat account compulsorily.

For any support to open Demat Account with 'Bank of India' and to get your shares dematerialized, you may contact our Share Trade Partner 'Ajcon Global Services Ltd.' Contact person Mr. Nitin Kumawat, 022-67160415 Mobile Number 8080380883, E-mail: nitin@ajcon.net